[illegible]

30/08/24 प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता [illegible] पेश किया गया। मुकदमा प्रतिवादीगण के अभाव वाद्ये दिनांक 30/8/24 को पेश हो।

30/08/2024 पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष अनुपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैध प्रतिनिधि वादपत्र मे अपना पक्ष रखने। पैरवी करने हाजिर नही आये।

अतः वादी के वादपत्र को वादी पक्ष की अथम हाजरी, अथम पैरवी मे ~~खारिज~~ खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।